UPLK010224182019

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

विशेष परीक्षण सं0 477/2019

सरकार बनाम सुरेश कुमार दीक्षित आदि

अ0सं0 272/2019
धारा–323,504,506 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(1)ध एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–मड़ियांव, लखनऊ।

15–09–2025

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्तगण सुरेश कुमार दीक्षित, नागेन्द्र दीक्षित व ज्ञानेन्द्र कुमार दीक्षित मय अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्तगण के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 323, 504, 506 भा0द0सं0 तथा धारा 3(1)ध एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्तगणगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगणगण ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 17.11.2025 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010224182019

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

विशेष परीक्षण सं0 477/2019

सरकार बनाम सुरेश कुमार दीक्षित आदि

अ0सं0 272/2019
धारा–323,504,506 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(1)ध एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–मड़ियांव, लखनऊ।

आरोप

मैं, विवेकानन्द शरण त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण सुरेश कुमार दीक्षित, नागेन्द्र दीक्षित व ज्ञानेन्द्र कुमार दीक्षित को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ:–

प्रथमः यह कि दिनांक 26.06.2018 समय दोपहर लगभग 01.00 बजे थाना मड़ियांव जिला लखनऊ सीमान्तर्गत थाना गुडम्बा पर आप अभियुक्तगण सुरेश कुमार दीक्षित, नागेन्द्र दीक्षित व ज्ञानेन्द्र कुमार दीक्षित द्वारा वादी मुकदमा रेनू कनौजिया के दोनों पुत्रो शिवम व शिव तथा पति लालता प्रसाद को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण सुरेश कुमार दीक्षित, नागेन्द्र दीक्षित व ज्ञानेन्द्र कुमार दीक्षित द्वारा वादी मुकदमा रेनू कनौजिया के दोनों पुत्रो शिवम व शिव तथा पति लालता प्रसाद को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अ अभियुक्तगण सुरेश कुमार दीक्षित, नागेन्द्र दीक्षित व ज्ञानेन्द्र कुमार दीक्षित द्वारा वादी मुकदमा रेनू कनौजिया के दोनों पुत्रो शिवम व शिव तथा पति लालता प्रसाद को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण सुरेश कुमार दीक्षित, नागेन्द्र दीक्षित व ज्ञानेन्द्र कुमार दीक्षित द्वारा वादी मुकदमा रेनू कनौजिया के दोनों पुत्रो शिवम व शिव तथा पति लालता प्रसाद जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, को जाति के नाम से गालियां दी। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा–3(1)ध के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 15–09–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड–यूपी06127

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 15–09–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड–यूपी06127